न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

जी0आर0नं0ः—639 / 2020

विचारण संख्याः—2631 / 2021

दाउदनगर थाना कांड संख्या :—218 / 2020

13.09.2021 आवेदिका स्कार्पियो निबंधन सं0—BR26PA6668 का स्वामी मधुलता कुमारी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिनांक—28.07.2021 को ई—फायलिंग के तहत दाखिल आवेदन को संचालित करने हेतु, उसी आशय का एक अन्य आवेदन ई—फायलिंग के तहत दाखिल किया गया ।

वाद पुकार पर आवेदिका मधुलता कुमारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक—28.07.2021 को दाखिल आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि उक्त स्कार्पियो निबंधन सं0—BR26PA6668 दाउदनगर थाना द्वारा दिया जप्त किया गया है । उक्त वाहन का स्वामी आवेदिका है । वाहन जप्त रहने से वाहन मालिक को आर्थिक नुकसान हो रहा है। अतः आवेदिका के पक्ष में उक्त वाहन को मुक्त किया जाय।

उक्त आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार सुना । अभिलेख का परिशीलन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त स्कार्पियो निबंधन सं0—BR26PA6668 दाउदनगर थाना द्वारा जप्त किया गया है । उक्त वाहन का जप्ती सूची अभिलेख पर उपलब्ध है। उक्त वाहन के सम्बन्ध में, सम्बन्धित थाना द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन समर्पित किया है कि " उक्त वाहन का अनुसंधान में आवश्यकता है "। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद में आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है हालांकि उक्त वाद में पूरक अनुसंधान जारी है लेकिन निकट भविष्य में पूरा होने की संभावना प्रतीत नही होती है । वाद के अनुसंधान में उक्त वाहन को जप्त किये हुए लगभग डेढ. साल से अधिक समय व्यतीत हो चुका है । ऐसी स्थिति में यदि उक्त वाहन को उसके स्वामी के पक्ष में नही मुक्त किया गया तो उक्त वाहन के क्षतिग्रस्त होने की संभावना है । उक्त वाहन का स्कीन प्रतिवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद के द्वारा पत्रांक—791 / परि0 दिनांक—05.08.2021 से समर्पित किया गया है, जिसमें उक्त वाहन का स्वामी का नाम मधुलता कुमारी, निबंधन सं0—BR26PA6668, इंजन सं0—XML4G10871, चेसिस सं0—MA1TA2XM2L2G26659 अंकित है। उक्त वाहन के स्वामी मधुलता कुमारी की ओर से उक्त वाहन का स्वामित्व प्रमाण पत्र एवं बीमा की छाया प्रति दाखिल किया गया, जिससे विदित होता है कि उक्त वाहन का निवंधन संख्या, चेसिस संख्या एवं इंजन संख्या, जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार है। उक्त वाहन की तंदुरूस्ती की वैधता दिनांक—23.07.2035 तक, अद्यतन कर भुगतान एकमुश्त किया गया है जबकि उक्त वाहन दिनांकः—21.07.2023 की मध्य रात्रि तक बीमित है ।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अवलोकनार्थ आवेदिका मधुलता कुमारी के पक्ष में उक्त जप्त स्कार्पियो निबंधन सं0—BR26PA6668 इंजन सं0—XML4G10871, चेसिस सं0—MA1TA2XM2L2G26659 को मुक्त करना न्यायोचित समझता हूँ । ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदिका मधुलता कुमारी के पक्ष में उक्त स्कार्पियो निबंधन संख्या—BR26PA6668 को मो0—13,00,000X1 के समान राशि के क्षतिपूर्ति बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन का ऑनर बुक, बीमा की अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र एवं उक्त वाहन की चालक की अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति की सत्यापित प्रति जो गजटेड पदाधिकारी / नोटरी पब्लिक से सत्यापित हो, दाखिल करेगी । आवेदिका इस आशय का एक शपथ पत्र भी दाखिल करेगी कि उक्त

लगातार

लगातार
13.09.2021

स्कार्पियो के मुक्ति के पश्चात् वाद के निष्पादन तक उसके रंगरूप–स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगी, बिक्रय नही करेगी, वाद में अग्रिम अनुसंधान में जब भी आवश्यकता होगी वह अनुसंधानकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करेगी । न्यायालय द्वारा वाहन की मांग किये जाने पर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करेगी एवं उक्त वाहन के सम्बन्ध में जो दस्तावेज दाखिल किया गया है, वह सत्य है ।

थाना प्रभारी दाउदनगर को निर्देश दिया जाता है कि उचित पहचान पर आवेदिका के पक्ष में उक्त निबंधन संख्या से सम्बन्धित जप्त वाहन को पंचनामा बनाते हुए मुक्त करें ।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि आवेदिका द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र दाखिल करने एवं स्वीकृति के उपरांत उक्त आदेश के आलोक में मुक्ति आदेश निर्गत करें।

प्र0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।